**HPFD-F05/225/2024-FCA**
वन विभाग हिमाचल प्रदे ा।

प्रेषकः नोड़ल आफिसर एवं प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

प्रेषितः क्षेत्रीय अधिकारी,
उप–कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय), चण्डीगढ़
सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, ि ावालिक खण्ड,लौंगबुड,
ि ामला, हिमाचल प्रदे ा–1710001

दिनांक ि ामला–1

विषयः **Diversion of 6.6997 hectare of forest land for construction of road from Bag to Kayalu (Kms. RD 0/00 to 10/500) in favour of HPPWD within the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla Forest Division, Distt. Shimla, H.P.**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र सं0 8बी/एच पी/06/63/2016/एफ सी/1650 दिनांक 18/01/2017 के संदर्भ में जिसके माध्यम से विशयाअधिन प्रस्ताव को सैन्द्रातिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

1ण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दण्डात्मक वृक्षारोपण एवं उसके रख रखाव हेतु आव यक धनराि ा जमा कर ली गई है।
2ण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भाुद्ध वर्तमान मूल्य की राि ा जमा कर ली है।
3ण भाुद्ध वर्तमान मूल्य की राि ा की बचनबद्धता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिरण द्वारा अनुपालना रिर्पोट के साथ दी है।
4ण प्रयोक्ता अभिकरण ने सभी निधियों की निधारित राि ा online challan के माध्यम से जमा की है।
5ण सडक निमार्ण के प चात जहा जहा भी सभव होगा, पौधरोपण का कार्य किया जाएगा। बचन बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।

इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिरण द्वारा जिन भार्तों के आधार पर अतिंम स्वीकृति प्रदान की जाएगी, उनकी अनुपालना निम्न प्रकार से हैः–

1ण वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी । बचन बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
2ण भाुद्ध वर्तमान मूल्य की राि ा की बचनबद्धता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिरण द्वारा अनुपालना रिर्पोट के साथ दी है।
3ण प्रयोक्ता अभिरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जाएगा। बचन बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
4ण ्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निमार्ण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जाएगी। बचन बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
5ण परियोजना के निमार्ण व रख–रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्रों की वनस्पतियों एवं जीवों के लिए रसोई को क्षति नहीं पहुचाई जाएगी। बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
6ण वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में द ाए layout Plan के अलावा अन्य किसी उददे य के लिए नहीं किया जाएगा। बचन बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
7ण प्रस्ताव में द ाए गए वृक्षों के अलावा अन्य किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा। बचन बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
8ण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग की देख रेख प्रत्यावर्तित भूमि का आर,सी,सी, स्तंभ लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा पीछे असर ंअकिंत किया गया हो। बचन बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
9ण प्रयोक्ता अभिकरण से उत्सर्जित मलवे को निस्तारण प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख रेख में किया जाएगा एवं निर्दिश्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फैका जाएगा। बचन बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है। बचन बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।

10ण यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदे ा/अनुछेद आदि तथा विकास हेतु होते हैं तो उनके अधिन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी। बचन बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।

11ण ऐसी अन्य कोई भी भार्त जो कि भारत सरकार भविश्य में पर्यावरण, वन एवं जीवों के सरंक्षण हेतू आव वक लगाई जाएगी की अनुपालना पूर्ण रुप से की जाएगी।

भवदीय,

Signed by
Sanjay Sood
Date: 02-08-2025 16:33:56

नोडल अधिकारी एवं प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।